राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 420/2023

डॉ. पवन कुमार शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग एवं पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–द्वितीय।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फागी, जयपुर–द्वितीय।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.01.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमंत धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौरू, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.09.2022 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सवाईमाधोपुर कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण में अपील संख्या 5223/2022 प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा उक्त आदेश को अधिकरण के आदेश दिनांक 15.11.2022 (अनुलग्नक–2) द्वारा स्थगित करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया और यह भी निर्देशित किया कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावे, जहां वह चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। उक्त आदेश की पालना में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.11.2022 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी को पीएचसी, चौरू में उपस्थिति देने हेतु आदेशित किया गया था दिया गया। अपीलार्थी ने बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 07.12.2022 एवं 08.12.2022 (अनुलग्नक–4) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 26.12.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का वेतन सीएचसी खण्डार, सवाई माधोपुर से आहरित किए जाने के निर्देश दिए गए, जो अवैध एवं अनुचित है। अपीलार्थी को उसके पदस्थापन स्थान से वेतन भुगतान कराया जावे।

अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.12.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी का बकाया वेतन वर्तमान पदस्थापित स्थान से भुगतान करवाया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रस्तुत अपील प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.12.2022 (अनुलग्नक–1) जिसके द्वारा अपीलार्थी का वेतन भुगतान उसके वर्तमान पदस्थापन स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौरू, जयपुर के बजाए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खण्डार, सवाईमाधोपुर से आहरित करने का आदेश जारी किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 19.09.2022 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौरू, जयपुर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सवाईमाधोपुर किया गया, जिसके विरूद्ध अधिकरण में अपील प्रस्तुत की गई, अपील संख्या 5223/2022 द्वारा स्थानान्तरण आदेश को चुनौती दिए जाने पर अधिकरण के आदेश दिनांक 15.11.2022 द्वारा अपीलार्थी के संबंध में जारी स्थानान्तरण आदेश का क्रियान्वयन अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया था (अनुलग्नक–2), जिसकी पालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को पीएचसी, चौरू में उपस्थिति देने हेतु आदेशित किया गया था (अनुलग्नक–3) और उक्त अपील लोक अदालत में दिनांक 09.12.2023 को उभय पक्ष की स्वीकृति से निस्तारित की जाकर अपीलार्थी के संबंध में जारी स्थानान्तरण आदेश को अपास्त किया गया है। अतः आलौच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी का वेतन वर्तमान पदस्थापन स्थान के बजाए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खण्डार, सवाईमाधोपुर से आहरित करने का आलोच्य आदेश अधिकरण के उक्त आदेश के विरूद्ध है। चूंकि अपीलार्थी पीएचसी चौरू जयपुर में पदस्थापित है। अतः अपीलार्थी का वेतन उसके मूल पदस्थापन स्थान से ही आहरित करने और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.12.2022 को अपास्त करना न्यायोचित है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 26.12.2022 को अपीलार्थी की हद तक अपास्त किया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी का वेतन उसके वर्तमान पदस्थापन स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौरू, जयपुर से आहरित किया जाकर नियमानुसार वेतन भुगतान करने की कार्यवाही की जावे। इस निर्देश के साथ अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य